

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—635/2011
 संस्थित दिनांक—05.09.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा
 तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

शिवप्रसाद उर्फ शिवनसिंह पिता मनीराम आयु 42 वर्ष, जाति गोंड
 साकिन कोसमी, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
 हाल मुकाम क्वाटर नं. 2119 सी, टाइप—1, सेक्टर 2, बी.एम.जे.जबलपुर,
 जिला जबलपुर (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—10/07/2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा—294, 451, 323(दो बार), 506 (भाग—2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—31.07.2011 को सुबह के करीब 9:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम कोसमी, थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान अथवा उसके समीप फरियादी/आहत को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे क्षोभ कारित कर कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिये फरियादी के घर के आंगन में घुसकर जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, प्रवेश करके आपराधिक गृह अतिचार कारित कर आहत चमरिनबाई एवं राजकुमार को हाथ—मुक्कों से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—31.07.2011 को सुबह के करीब 9:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम कोसमी, थाना परसवाड़ा अन्तर्गत फरियादी/आहत चमरिनबाई जब अपनी बहु के गेट पर खड़ी थी तो शिवप्रसाद आया और उसे गन्दी—गन्दी गालियों देने

लगा एवं उसे बाल पकड़कर गले में हाथ डालकर पटक दिया तथा हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगा, हल्ला सुनकर जब उसका नाती राजकुमार आया तो शिवप्रसाद ने गन्दी-गन्दी गालियां देने लगा और मारपीट किया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी/आहत चमरिनबाई के द्वारा थाना परसवाड़ा में की, जिस पर पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-40/11, धारा-294, 323, 506, 448 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उक्त घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-294, 451, 323(दो बार), 506 (भाग-2) के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 का द.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया गया होना प्रकट किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-31.07.2011 को सुबह के करीब 9:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम कोसमी, थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान अथवा उसके समीप फरियादी/आहत को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे क्षोभ कारित किया?

2. क्या आरोपी उक्त दिनांक समय व स्थान पर कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिये फरियादी के घर के आंगन में घुसकर जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, प्रवेश करके आपराधिक गृह अतिचार कारित किया?

3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर आहत चमरिनबाई एवं राजकुमार को हाथ-मुक्कों से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया?

4. क्या आरोपी उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दु कमांक 1 से 4 पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत चमरिनबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है, घटना पिछले वर्ष सुबह 8:00 बजे सावन के महीने की बात है। उस समय आरोपी शिवप्रसाद आया और उसके बाद उसके माता-पिता आये और गन्दी-गन्दी गालियां देने लगे जो सुनने में बुरी लग रही थी और आरोपी ने उसके साथ तथा उसके नाती जिसे राजू बोलते हैं को पटक-पटक कर मारपीट की एवं गन्दी-गन्दी गालियां दी तथा शिवप्रसाद ने जान से मारने की धमकी दी, आरोपी अभी भी घर को जला देने तथा जान से मार डालने की धमकी देता है। झगड़े के समय बीच-बचाव करने लक्ष्मी और तारा आये थे। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट परसवाड़ा थाने में की थी तथा उस पर अंगुठा निशानी लगायी थी तथा उक्त घटना के संबंध में थाना प्रभारी को लिखित में दिया था, जिस पर भी उसने अंगुठा निशानी लगायी थी। आरोपी के द्वारा उसे मारपीट किये जाने से उसे पीट में चोट आयी थी। उसे याद नहीं है कि आरोपी ने उसके बाल पकड़ कर खीच-तान किया था या नहीं। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त झगड़ा घर के आंगन में हो रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि झगड़े के समय शिवप्रसाद ने उसे ढकेल दिया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश करते हुए अभियोजन मामले का इस सीमा तक समर्थन किया है कि आरोपी ने उसे तथा राजकुमार के साथ मारपीट कर उपहति कारित की। साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।

7— अन्य आहत राजकुमार (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक-31 है तथा वर्ष 2011 है, उसे घटना का माह नहीं मालूम। घटना 8:30-9:00 बजे सुबह की है। घटना के समय चरिनबाई आंगन में थी। वह घटना के समय पीछे तरफ खाना बना रहा था, उसी समय आरोपी आंगन में आया और चमरिनबाई का गला पकड़ लिया, हल्ला होने पर जब वह आया तो आरोपी ने चमरिन बाई को मार कर ढकेल दिया था और उसे हाथ-मुक्को से मारपीट करने लगा। आरोपी मां-बहन की गालियाँ दे रहा था और कह रहा था कि पूरे परिवार को जला कर मार डालूंगा और घसीटते

हुए खेत ले गया, फिर वहां पर चाचा लोग थे, जिन पर भी आरोपी हमला करने के लिए होने लगा। आंगन में झगड़ा हुआ था उस समय ताराबाई और लक्ष्मी आये थे। उक्त घटना में उसके दोनों घुटने में चोट आयी थी। वह विकलांग है इसलिए आरोपी की बराबरी नहीं कर सका और अपने आप को नहीं बचा सका। पुलिसवाले जांच करने आये थे और उसके समक्ष घटना स्थल का मौका नक्शा बनाये थे, जिस पर उसने अंगुठा लगाया था। उसका डाक्टरी मुलाहिजा परसवाड़ा में हुआ था तथा एक्सरे भी हुआ था। जिस स्थान पर आरोपी ने आकर मारपीट किया था वह उसके घर का आंगन था। आरोपीगण का घर उसके घर से काफी दूर है।

8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवाद आंगन में ही हुआ था, आरोपी घर के अंदर नहीं घुसा था। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा फरियादी चमरीनबाई के कथन का समर्थन करते हुए फरियादी एव उसको आरोपी के द्वारा मारपीट कर उपहति कारित किये जाने का समर्थन किया गया है।

9— चक्षुदर्शी साक्षी ताराबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा फरियादीगण को पहचानती है। घटना लगभग एक वर्ष पुरानी सुबह 8-9 बजे की है। वह अपने खेत जा रही थी तो उसी समय राजकुमार के घर के आंगन में शिवप्रसाद ने किसी चीज से राजकुमार को मार दिया था, जिससे राजकुमार के पैर में चोट आयी थी तथा राजकुमार की आजी चमरिन बाई को भी आरोपी ने गला पकड़कर मारपीट किया था। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। इसी प्रकार अन्य चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मीबाई (अ.सा.4) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी तथा फरियादीगण को पहचानती है। घटना लगभग एक वर्ष पुरानी सुबह 9 बजे की है। वह घटना के समय अपने खेत जा रही थी तो चमरिनबाई अपने घर के सामने खड़ी थी, उसी समय आरोपी ने आकर राजकुमार के बारे में पूछताछ किया और धक्का-मुक्की करने लगा था, उसी समय राजकुमार आया तो आरोपी ने हाथ-मुक्के से राजकुमार को मारपीट किया था, जिससे राजकुमार के गाल, हाथ-पैर में चोट आयी थी। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान ली थी। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उनके कथनों का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार इन चक्षुदर्शी साक्षीगण ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि आरोपी ने आहत चमरिनबाई एवं

राजकुमार को मारपीट कर उपहति कारित की थी।

10— अनुसंधानकर्ता थानूलाल सोनेकर (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—31.07.2011 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा अपराध क्रमांक—40/2011, धारा 296, 323, 506, 448 भा.द.सं. की केस डायरी प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान उसी दिनांक को घटना स्थल का मौका—नक्शा प्रदर्श पी—1 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा प्रार्थी चमरिनबाई, राजकुमार, ताराबाई, शिव, गंगाराम, लक्ष्मीबाई, संजीव के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा विवेचना उपरांत प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी को सौंपी गई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथनों का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी आहतगण चमरिनबाई एवं राजकुमार एकमत होकर यह साक्ष्य पेश की है कि आरोपी ने घटना के समय उन्हें मारपीट कर उपहति कारित की थी। इस तथ्य का समर्थन घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार अभियोजन ने यह तथ्य प्रमाणित किया है कि आरोपी ने घटना के समय आहत चमरिनबाई व राजकुमार को घर के सामने मारपीट कर उपहति कारित की थी। आरोपी के द्वारा आहतगण को मारपीट किये जाते समय उन्हें उपहति कारित करने का आशय रखते हुए चोट पहुंचाया गया तथा वह जानता था कि उसके उक्त कृत्य से निश्चित ही आहतगण को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी का उक्त कृत्य आहतगण को स्वैच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

12— अभियोजन की ओर से चमरिनबाई (अ.सा.1) एवं राजकुमार (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय गाली—गलौच करने के कथन किये हैं, किन्तु साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि आरोपी के द्वारा किन शब्दों अथवा गालियों का उच्चारण कर उन्हें क्षोभ कारित किया। उक्त तथ्य का समर्थन अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण ने भी नहीं किया है। ऐसी दशा में अभियोजन यह तथ्य युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने फरियादी व आहत को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया है।

13— अभियोजन की ओर से चमरिनबाई (अ.सा.1) एवं राजकुमार (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि आरोपी ने उक्त घटना के समय मारपीट करने के लिए फरियादी के आवासीय घर में प्रवेश किया हो, बल्कि उक्त दोनों साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी के द्वारा विवाद घर के आंगन में किया गया था और आरोपी घर के अंदर नहीं घुसा था। घटना स्थल मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 में भी घटना स्थल को आंगन के रूप में दर्शाया गया है। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता कि उक्त आंगन मानवीय आवास या सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग हेतु लाया जाता है। इस प्रकार अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने आहतगण को उपहति कारित करने के आशय से फरियादी के घर में घुसकर आपराधिक गृह अतिचार किया है।

14— इसी प्रकार चमरिनबाई (अ.सा.1) एवं राजकुमार (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दिया था और अभी भी उनके घर को जलाने और मार डालने की धमकी देता है। यद्यपि मामले में घटना दिनांक को ही आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाने में फरियादी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी, जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि फरियादी व आहत ने बिना भय के घटना के संबंध में पुलिस थाने में निडरता से रिपोर्ट लिखाकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की है। आरोपी के द्वारा कथित धमकी दिये जाने के संबंध में उसके अग्रसरण में क्या कार्यवाही की अथवा कथित धमकी से फरियादी व आहत किस प्रकार भयभीत हो गये और उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित हुआ इस संबंध में युक्ति-युक्त संदेह से परे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। इस प्रकार अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया हो।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी के विरुद्ध अभियोजन ने युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने घटना के समय लोक स्थान में फरियादी व अन्य को क्षोभ कारित किया या आपराधिक अभित्रास कारित किया अथवा उपहति कारित करने के आशय से फरियादी के घर में प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया। अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने आहत चमरिनबाई एवं राजकुमार को स्वैच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 451, 506

भाग—दो के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियोजन ने युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर आहत चमरिनबाई एवं राजकुमार को हाथ—मुक्कों से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। आरोपी द्वारा आहतगण को स्वेच्छया उपहति कारित करने के फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 (दो काउंट) के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया जाता है।

16— आरोपी के द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए अपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

17— आरोपी एवं उसके अधिवक्ता की ओर से दण्ड के प्रश्न पर निवेदन किया गया है कि आहतगण को मामूली चोटे कारित हुई है एवं आरोपी का यह प्रथम अपराध है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

18— प्रकरण में आरोपी के द्वारा घटना के समय आहतगण के साथ झुमा झपटी की गई है तथा आहतगण को मारपीट में मामूली चोटे कारित हुई है। आरोपी वर्ष 2011 से मामले में विचारण का सामना कर रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है। आरोपी का किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण पेश नहीं है। ऐसी दशा में आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को आहत चमरिनबाई व राजकुमार को कारित स्वेच्छया उपहति के अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323(दो काउंट) में 1000—1000 रुपये कुल 2000/—रुपये(दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक—एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपी जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20— आरोपी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है, इसके संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण—पत्र तैयार किया जावे।

21— आरोपी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है, इसके संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

22— अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)